बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

नियर गिरजा चौक, मुख्य डाकघर के सामने पो0+जिला–पूर्णियाँ - 854301 Ph. No.- 06454 242744

पत्र संख्या :–

प्रेषक :– **राजीव रंजन**, भा.व.से.,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

सेवा में,
वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

पूर्णियाँ, दिनांक :–

विषय :– भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत् 0.42541 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग :– उप वन संरक्षक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग) का पत्रांक–275 दिनांक–08.05.2024, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक–675 दिनांक–24.06.2024 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक–607, दिनांक–21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना में वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। उक्त के संबंध में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कटिहार के प्रासंगिक पत्र द्वारा स्थलीय जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित है कि पूर्णियाँ/कटिहार जिलान्तर्गत वनभूमि में नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

अतः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्णियाँ तथा कटिहार जिला में प्रस्तावित स्थल अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

ज्ञापांक :– 1654 दिनांक :– 25/06/24

प्रतिलिपि :– उप वन संरक्षक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग) को उनके पत्रांक–275 दिनांक–08.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25/6/24
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ